ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन

हाल ही में **पंचायती राज मंत्रालय ने** ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने और ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु **'ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देश, 2017'** को संशोधित किया है।

प्रमुख बिंदु

- **परिचय**
  - RADPFI 2021 दिशानिर्देश स्थानिक ग्रामीण नियोजन को बढ़ावा देने की दिशा में मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है और यह गाँवों में दीर्घकालिक नियोजन हेतु एक परिप्रेक्ष्य विकसित कर ग्रामीण परिवर्तन का मार्ग तैयार करेगा।
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूमि उपयोग नियोजन और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होगा।
- **विशेषताएँ**
  - इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर नियोजन योजनाओं की तर्ज पर **'ग्राम नियोजन योजना' (VPS)** शामिल है।
  - **ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम** (GPDP) को स्थानिक भूमि उपयोग योजना से जोड़ने के प्रावधान।
  - ग्राम पंचायत विकास के लिये स्थानिक मानक।
- **उद्देश्य**
  - इसका उद्देश्य गाँवों में रहने की सुगमता सुनिश्चित करना और सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचे एवं सुविधाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिये संसाधन व अवसर प्रदान करके बड़े शहरों में प्रवास को कम करने में मदद करना है।
- **महत्त्व:**
  - यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत आर्थिक समूहों के विकास को बढ़ावा देगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देंगे।
  - यह केंद्र सरकार के प्रयासों जैसे पंचायती राज मंत्रालय की '**स्वामित्व योजना**' और ग्रामीण विकास मंत्रालय के **रूर्बन मिशन** का भी पूरक होगा और भू-स्थानिक जानकारी के बेहतर उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएँ

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005
- दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rural-area-development-plan-formulation-and-implementation